आवास स्थानों में उचित समायोजन और संशोधन

कई संघीय क़ानून आवास प्रदाताओं के लिए अशक्तजनों हेतु उचित समायोजन और संशोधन करना आवश्यक करते हैं। अशक्तता आधारित भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण देने वाले संघीय शून्य-भेदभाव क़ानून न केवल उन किरायेदारों व घर खोजने में लगे लोगों को कवर करते हैं जो किसी अशक्तता से ग्रस्त हैं, बल्कि किसी भी अशक्तता से मुक्त उन ख़रीदारों और किरायेदारों को भी कवर करते हैं जो अशक्तजनों के साथ रहते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं।

प्र: कौन आवास के लिए उचित समायोजन या संशोधन का अनुरोध कर सकता है?

कई संघीय क़ानून आवास प्रदाताओं के लिए अशक्तजनों हेतु उचित समायोजन और उचित संशोधन करना आवश्यक करते हैं। अशक्तता आधारित भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण देने वाले संघीय शून्य-भेदभाव क़ानून न केवल उन किरायेदारों व घर खोजने में लगे लोगों को कवर करते हैं जो किसी अशक्तता से ग्रस्त हैं, बल्कि किसी भी अशक्तता से मुक्त उन ख़रीदारों और किरायेदारों को भी कवर करते हैं जो अशक्तजनों के साथ रहते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। ये क़ानून आवास प्रदाताओं के लिए अशक्तजनों को, उनकी उचित समायोजनों या संशोधनों की आवश्यकता के कारण, आवास से मना करना या उनके आवास पर शर्तें लगाना निषिद्ध करते हैं।

प्र: किसके लिए इन आवश्यकताओं का अनुपालन आवश्यक है?

उचित समायोजन और संशोधन प्रदान करने की आवश्यकता आवास या आवासीय ऋण में शामिल व्यक्तियों, निगमों, संघों और अन्य पर लागू होती है पर वह इन्हीं तक सीमित नहीं है; उक्त व्यक्तियों, निगमों, संघों व अन्य में संपत्ति स्वामी, आवास प्रबंधक, गृहस्वामी और कॉन्डोमिनियम (हाउसिंग सोसायटी) संघ, ऋणदाता, अचल संपत्ति एजेंट, और ब्रोकरेज सेवाएँ शामिल हैं। यह

आवश्यकता राज्य और स्थानीय सरकारों पर भी लागू होती है, जिसमें अपवर्जी अंचल-निर्धारण (ज़ोनिंग) या अन्य भू-उपयोग निर्णयों के संदर्भ में इसका लागू होना शामिल है।

प्र: आवास के लिए उचित समायोजन क्या है?

उचित समायोजन का अर्थ किसी नियम, नीति, परिपाटी या सेवा में ऐसे बदलाव, अपवाद, या समायोजन से है जो किसी अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति को किसी निवास-स्थान, जिसमें सार्वजनिक और साझा उपयोग के स्थान शामिल हैं, का उपयोग करने व लाभ उठाने का समान अवसर पाने के लिए, या उनके कार्यक्रम दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ADA (अशक्त अमेरिकी अधिनियम (अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट)) इस प्रकार के समायोजनों को अक्सर “संशोधन” कहता है।

चीज़ों को साधारण रूप से करने के तरीक़े में ऐसा बदलाव जो किसी अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति को आवास के अवसरों का लाभ उठाने या कार्यक्रम की आवश्यकताएँ संतुष्ट करने में सक्षम बनाता है, उचित समायोजन कहलाता है। अन्य शब्दों में, उचित समायोजन उन बाधाओं को हटाते हैं जो अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों को आवास के अवसरों, जिनमें निजी आवास और संघीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों या गतिविधियों में के अवसर, दोनों शामिल हैं, में पूरी तरह सहभागिता करने से रोकती हैं। आवास प्रदाता अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शुल्क या ज़मानत राशि का भुगतान आवश्यक नहीं कर सकते हैं या उचित समायोजन पाने की एक शर्त के रूप में कोई अन्य शर्त या आवश्यकताएँ लागू नहीं कर सकते हैं।

चूँकि नियमों, नीतियों, परिपाटियों और सेवाओं का अन्य व्यक्तियों की तुलना में अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों पर अलग प्रभाव हो सकता है, अतः अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार करने का कभी-कभी परिणाम यह होगा कि अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति किसी निवास-स्थान का लाभ उठाने या कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों को उचित समायोजन का अनुरोध करना पड़े। हालाँकि, सभी अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के पास किसी भी समय उचित समायोजन का अनुरोध करने या उन्हें वह प्रदान किए जाने का अधिकार है।

ADA (अशक्त अमेरिकी अधिनियम (अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट)) की धारा 504 के तहत, सार्वजनिक आवास एजेंसियों, संघीय सहायता प्राप्त अन्य आवास प्रदाताओं, और राज्य या स्थानीय निकायों के लिए उचित समायोजनों/संशोधनों के रूप में संरचनात्मक संशोधन प्रदान करना और उनके लिए भुगतान करना आवश्यक है।

प्र: आवास के लिए उचित संशोधन क्या है?

निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) के तहत, किसी मौजूदा परिसर, जहाँ कोई अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति रहता है या रहने वाला है, में उक्त व्यक्ति को परिसर का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए किए गए संरचनात्मक बदलाव को उचित संशोधन कहा जाता है। उचित संशोधनों में निवास-स्थानों के अंदरूनी और बाहरी भागों में और साझा एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों में किए गए संरचनात्मक बदलाव शामिल हो सकते हैं। उदाहरणों में भवन में प्रवेश करने वाला रैंप, किसी यूनिट की प्रवेश देहरी की ऊँचाई घटाना, या बाथरूम में ग्रैब-बार (पकड़ने के हैंडल) लगाना शामिल है। निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) के तहत निषिद्ध भेदभाव में, किसी ऐसे मौजूदा परिसर जहाँ कोई अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति रहता है या रहने वाला है, में उक्त व्यक्ति के व्यय पर उचित संशोधन करने की अनुमति देने से मना करना शामिल है, बशर्ते उक्त संशोधन उक्त व्यक्ति को परिसर का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हों।

धारा 504 के तहत, आवास प्रदाता के लिए उचित समायोजन के रूप में संरचनात्मक संशोधन प्रदान करना और उसके लिए भुगतान करना आवश्यक है, बशर्ते उसकी लागत राशि अनुचित रूप से वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ डालती हो या कार्यक्रम में मूलभूत बदलाव आवश्यक न करती हो। यदि अनुचित बोझ या मूलभूत बदलाव मौजूद है, तो भी प्राप्तकर्ता के लिए उस सीमा तक कोई अन्य उचित समायोजन प्रदान करना आवश्यक है जिस सीमा तक वह प्राप्तकर्ता पर अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ न डालता हो और/या कार्यक्रम में मूलभूत बदलाव का कारण न बनता हो।

अधिक जानकारी के लिए, धारा 504 के बारे में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ(https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/disabilities/sect504faq) पर आएँ।

ध्यान दें: धारा 504 के तहत सुगम्य विशेषताओं के लिए व्यक्ति के अनुरोध का समायोजन करने की यह आवश्यकता, प्राप्तकर्ता के कार्यक्रम की पहुँच प्रदान करने और अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सुगम्य इकाइयाँ उपलब्ध रखने के स्वीकारात्मक दायित्व से अलग है। इसी प्रकार, निष्पक्ष आवासन अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) के तहत, कवरेज-अधीन संपत्तियों के लिए डिज़ाइन और निर्माण से संबंधित आवश्यकताएँ मौजूद हैं, चाहे उचित संशोधन प्रदान करने की आवश्यकता हो या न हो। इन भौतिक सुगम्यता आवश्यकताओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी भौतिक सुगम्यता(https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/physical_accessibility) पृष्ठ पर उपलब्ध है।

प्र: उचित समायोजनों या संशोधनों के कुछ उदाहरण क्या हैं?

- किसी सचलता संबंधी कमज़ोरी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए एक सुगम्य पार्किंग स्थान निर्धारित करना
- किरायेदार को भूतल स्थित यूनिट में स्थानांतरित होने की अनुमति देना
- व्यक्ति को आय सहायता मिलने पर किराया भुगतान समायोजित करने के लिए किराया भुगतान की समय-सारणी में बदलाव करना
- किरायेदार के बाथरूम में ग्रैब-बार (पकड़ने का हैंडल) लगवाना
- आवेदक को किसी अन्य साधन के ज़रिए आवास आवेदन जमा करने की अनुमति देना
- जो व्यक्ति बधिर है, दृष्टिहीन है, जिसे दौरे पड़ते हैं या जो किसी मानसिक अशक्तता से ग्रस्त है उसके लिए "पालतू पशु निषिद्ध" भवन में किसी सहायक पशु की अनुमति देना। सहायक पशु के बारे में अधिक जानकारी यहाँ(https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/assistance_animals) उपलब्ध है।

प्र: आवास से संबंधित उचित समायोजन या संशोधन का अनुरोध मिलने पर प्रदाता क्या-क्या जानकारी माँग सकता है?

प्रदाता वह जानकारी पाने का अधिकारी है जो इस मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि किसी अशक्तता के कारण अनुरोधित उचित समायोजन या संशोधन आवश्यक हो सकता है या नहीं। यदि व्यक्ति की अशक्तता स्पष्ट है, आसानी से दिखाई देती है, या अन्यथा प्रदाता को ज्ञात है, और यदि अनुरोधित समायोजन या संशोधन की आवश्यकता भी आसानी से दिखाई देती है या ज्ञात है, तो प्रदाता और किसी अतिरिक्त जानकारी की माँग नहीं कर सकता है। यदि अशक्तता और/या अनुरोधित समायोजन अथवा संशोधन की अशक्तता-संबंधी आवश्यकता ज्ञात या स्पष्ट नहीं है/हैं, तो प्रदाता केवल वह जानकारी माँग सकता है जो अशक्तता और/या समायोजन की अशक्तता-संबंधी आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। यह जानकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति से, चिकित्सा पेशेवर से, किसी समकक्ष सहायता समूह से, किसी ग़ैर-चिकित्सा सेवा एजेंसी से, या किसी ऐसे विश्वसनीय तृतीय पक्ष से ली जा सकती है जो व्यक्ति की अशक्तता के बारे में जानकारी रखने की स्थिति में है। अधिकांश मामलों में, इस पूछताछ के लिए व्यक्ति के चिकित्सा रिकॉर्ड या व्यक्ति की अशक्तता की प्रकृति से संबंधित विस्तृत जानकारी आवश्यक नहीं होती है और उसे माँगना अनुपयुक्त हो सकता है।

प्र: आवास प्रदाता अनुरोधित समायोजन या संशोधन को कब अस्वीकार कर सकता है?

यदि अनुरोध अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से नहीं किया गया है या समायोजन अथवा संशोधन के लिए कोई अशक्तता-संबंधी आवश्यकता नहीं है तो आवास प्रदाता उचित समायोजन या संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। साथ ही, यदि समायोजन या संशोधन प्रदान करने से आवास प्रदाता पर अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ पड़ता हो या उससे आवास प्रदाता के कार्यक्रम की प्रकृति में मूलभूत बदलाव होता हो तो भी उस उचित समायोजन या संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ का निर्धारण विभिन्न कारकों को शामिल करते हुए केस-दर-केस आधार पर किया जाना चाहिए। यदि अनुचित बोझ या मूलभूत बदलाव मौजूद है, तो भी आवास प्रदाता के लिए उस सीमा तक कोई अन्य उचित समायोजन प्रदान करना आवश्यक है जिस सीमा तक वह उस आवास प्रदाता विशेष पर अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ न डालता हो और/या कार्यक्रम में मूलभूत बदलाव का कारण न बनता हो।

यदि आवास प्रदाता किसी अनुरोधित समायोजन या संशोधन को अस्वीकार करता है, तो प्रदाता को अनुरोधकर्ता से इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा वैकल्पिक समायोजन या संशोधन है जो प्रदाता के प्रचालनों में मूलभूत बदलाव किए बिना और अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ डाले बिना, अनुरोधकर्ता की अशक्तता-संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करता है। इस परस्पर-व्यवहारी प्रक्रिया के भाग के रूप में, आवास प्रदाता को यह बात माननी चाहिए कि समायोजन या संशोधन का अनुरोध करने वाला व्यक्ति ही अपनी अशक्तता से सर्वाधिक परिचित है और वह ही यह निर्धारित करने की सर्वोत्तम स्थिति में है कि किस प्रकार का सहायक यंत्र या सेवा किसी अशक्तता-संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभावी होगा/गी। इन चर्चाओं के फलस्वरूप अनुरोधकर्ता को अक्सर एक ऐसा प्रभावी समायोजन या संशोधन प्राप्त होता है जो प्रदाता पर अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ नहीं डालता है।

प्र: यदि मेरे आवास प्रदाता ने मेरे अनुरोध का वजूद ही न स्वीकारे या उसे अस्वीकार कर दे, या हम उचित समायोजन या संशोधन के मेरे अनुरोध के बारे में किसी सहमति तक न पहुँच पाएँ, तो मैं क्या कर सकता/ती हूँ?

प्रदाता पर उचित समायोजन अनुरोधों के उत्तर शीघ्रता से प्रदान करने का दायित्व होता है। उचित समायोजन अनुरोध का उत्तर देने में अनुचित विलंब करने को, उचित समायोजन प्रदान नहीं करना माना जा सकता है। समायोजन अनुरोध पर सहमति तक न पहुँचना, असल में प्रदाता द्वारा अनुरोधित समायोजन प्रदान नहीं करने का निर्णय है। यदि अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति का यह मानना हो कि उससे आवास संबंधी भेदभाव किया गया है, जिसमें प्रदाता द्वारा समुचित समायोजन के अनुरोध को ग़लत ढंग से अस्वीकार किया जाना शामिल है, तो वह निष्पक्ष आवास एवं समान अवसर

(फ़ेयर हाउसिंग एंड ईक्वल अपॉर्चुनिटी, FHEO) कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है(https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint) । जिस व्यक्ति को समायोजन देने से मना किया गया था यदि वह व्यक्ति उस निर्णय को चुनौती देने के लिए FHEO में शिकायत दर्ज कराता है, तो आवास एवं शहरी विकास (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, HUD) (या शिकायत पाने वाली राज्य या स्थानीय एजेंसी) लागू क़ानूनों के आलोक में साक्ष्य की समीक्षा करेगा और यह आकलन करेगा कि आवास प्रदाता ने उस क़ानून का उल्लंघन किया है या नहीं।

प्र: आवास में उचित समायोजनों के अनुरोध पर कौनसे क़ानून लागू होते हैं?

निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट)

निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) के तहत, किसी नियम, नीति, परिपाटी या सेवा में किए गए किसी बदलाव, अपवाद या समायोजन को उचित समायोजन कहा जाता है। निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) नियमों, नीतियों, परिपाटियों या सेवाओं में उचित समायोजन करने से मना करने को ग़ैरक़ानूनी ठहराता है बशर्ते उक्त समायोजन अशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों को निवास-स्थान तथा सार्वजनिक और साझा उपयोग के स्थानों का उपयोग करने और लाभ उठाने का समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकते हों।

साथ ही, निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) आवास प्रदाता को, किसी ऐसे मौजूदा परिसर जहाँ कोई अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति रहता है या रहने वाला है, में उक्त व्यक्ति के व्यय पर उचित संशोधन करने की अनुमति देने से मना करने से निषिद्ध करता है, बशर्ते उक्त संशोधन उक्त व्यक्ति को परिसर का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हों।

धारा 504

निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) के विपरीत, धारा 504 उचित समायोजनों और उचित संशोधनों के बीच भेद नहीं करती है। बल्कि, "उचित समायोजनों" में समायोजन और संशोधन, दोनों ही शामिल हैं। धारा 504 के तहत, उचित समायोजनों का निर्माण करने की आवश्यकता उन सभी बदलावों पर लागू होती है जो किसी संघीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसमें किसी नीति, कार्यक्रम, सेवा, इकाई/सुविधा या कार्यस्थल में ऐसा बदलाव, अनुकूलन या संशोधन शामिल है जो अशक्तता ग्रस्त योग्य व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में पूरी तरह भाग लेने, किसी सेवा का लाभ उठाने, आवास में रहने या कोई नौकरी करने में सक्षम बनाएगा। उचित समायोजनों में वे समस्त संरचनात्मक बदलाव भी

शामिल हैं जो आवश्यक हो सकते हैं। उचित समायोजनों में ऐसे बदलाव शामिल हो सकते हैं जो अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किसी निवास-स्थान, जिसमें सार्वजनिक और साझा उपयोग के स्थान शामिल हैं, का उपयोग करने व लाभ उठाने जाने के लिए, या संघीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लिए जाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। धारा 504 के तहत, आवास प्रदाता के लिए उचित समायोजन प्रदान करना और उनके लिए भुगतान करना आवश्यक है, बशर्ते उन्हें प्रदान करने से कोई अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ न पड़ता हो या कार्यक्रम में कोई मूलभूत बदलाव आवश्यक न होता हो। ऐसे मामलों में भी प्रदाता के लिए उस सीमा तक कोई अन्य उचित समायोजन प्रदान करना आवश्यक है जिस सीमा तक वह प्राप्तकर्ता पर अनुचित वित्तीय एवं प्रशासकीय बोझ न डालता हो और/या कार्यक्रम में मूलभूत बदलाव का कारण न बनता हो। धारा 504 के तहत उचित समायोजन करने की सांविधिक आवश्यकता के साथ-साथ, HUD का धारा 504 विनियम 24 C.F.R. § 8.33 में "आवास समायोजन" प्रदान करने का उपबंध करता है।

अशक्त अमेरिकी अधिनियम (अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ADA)

ADA के टाइटल 2 और 3, धारा 504 की उचित समायोजन आवश्यकता से मिलते-जुलते हैं और उसी पर आधारित हैं; ये टाइटल सार्वजनिक निकायों और सार्वजनिक समायोजनों के लिए यह आवश्यक करते हैं कि वे भेदभाव से बचने के लिए नीतियों, परिपाटियों या कार्यविधियों में उचित संशोधन करें। यह दायित्व तब तक लागू होता है जब तक सार्वजनिक निकाय यह न दर्शा सकता हो कि संशोधनों से उसकी सेवा, कार्यक्रम या गतिविधि में मूलभूत बदलाव होगा (टाइटल 2), या सार्वजनिक समायोजन यह न दर्शा सकता हो कि संशोधन करने से वस्तुओं, सेवाओं, सुविधाओं, विशेषाधिकारों, लाभों या समायोजनों की प्रकृति में मूलभूत बदलाव होगा (टाइटल 3)। अधिक जानकारी के लिए न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस) का ADA पृष्ठ(http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm) देखें।

प्र: उचित समायोजन या संशोधन के अनुरोध के आवश्यक घटक क्या हैं?

समायोजन या संशोधन के अनुरोध को लिखित में जमा करना आवश्यक नहीं है, हालाँकि हमारी यही सलाह है कि अनुरोध को दस्तावेज़ी रूप दिया जाए। समायोजन या संशोधन के अनुरोध पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल की जानी चाहिए:

- पत्र पाने वाले की उपयुक्त जानकारी
- उचित समायोजन या संशोधन का अनुरोध करने वाले व्यक्ति का नाम
- यदि आप किरायेदार हैं तो यह बात बताएँ और अपना पता शामिल करें

- यह वक्तव्य कि आप एक अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति के रूप में उचित समायोजन या संशोधन का अनुरोध कर रहे हैं
- लिखें कि आप किस उचित समायोजन या संशोधन का अनुरोध कर रहे हैं।
- लागू क़ानून उद्धृत करें।
- किसी चिकित्सा पेशेवर की ओर से जारी वह दस्तावेज़ शामिल करें जिसमें लिखा हो कि आवश्यकता होने पर समायोजन ज़रूरी है और अशक्तता के कारण समायोजन या संशोधन की आवश्यकता आसानी से दिखाई नहीं देती है।
- उदाहरण

जेन किरायेदार
बिल्डिंग 522, अपार्टमेंट 5
West Missoula, Wisconsin 10243

जॉन बिल्डिंग मालिक
प्रबंधक, बिल्डिंग 522
West Missoula, Wisconsin 10243

प्रिय जॉन,
मैं बिल्डिंग 522, अपार्टमेंट 5, West Missoula, Wisconsin 10234 का एक किरायेदार हूँ। मैं निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) के तहत एक अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति के रूप में एक उचित समायोजन या संशोधन का अनुरोध कर रहा हूँ। मेरी अशक्तता के कारण, मेरे लिए एक सर्विस डॉग का उपयोग करना आवश्यक है। मैं मुझे मेरे सर्विस डॉग को मेरे अपार्टमेंट में रखने की अनुमति देने के लिए आपकी 'पालतू पशु निषिद्ध' नीति में एक उचित समायोजन का अनुरोध कर रहा हूँ। मैं मेरे चिकित्सक की ओर से जारी एक पत्र शामिल कर रहा हूँ जो मेरी सर्विस डॉग की ज़रूरत को दस्तावेज़ीकृत करता है। कृपया 20 कार्य दिनों के अंदर इस अनुरोध का उत्तर दें।
भवदीय,
जेन किरायेदार

प्र: निष्पक्ष आवास अधिनियम (फ़ेयर हाउसिंग एक्ट) के तहत किस प्रकार के पशु

समायोजित किए जा सकते हैं?

अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति आवास प्रदाता के पालतू पशु प्रतिबंधों के एक उचित समायोजन के रूप में सहायक पशु रखने का अनुरोध कर सकते हैं। सहायक पशु एक ऐसा पशु होता है जो किसी अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति के लाभ के लिए कार्य करता है, उसे सहायता प्रदान करता है, या उसके कार्य करता है, या फिर जो ऐसा भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है जो व्यक्ति की अशक्तता के एक या अधिक पहचाने गए प्रभावों को घटाता है। सहायक पशु, पालतू पशु नहीं होता है।

प्र: यदि मेरा यह मानना हो कि मेरे आवास अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो मैं शिकायत कैसे दर्ज करा सकता/ती हूँ?

शिकायतें पूरे राष्ट्र में निष्पक्ष आवास एवं समान अवसर कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ फ़ेयर हाउसिंग एंड ईक्वल अपॉर्चुनिटी, FHEO) में या स्थानीय व राज्य क़ानूनों के आधार पर स्थानीय एवं राज्य एजेंसियों के पास दर्ज की जा सकती हैं।

FHEO ऑनलाइन

आप FHEO ऑनलाइन में अंग्रेज़ी (https://portalapps.hud.gov/FHEO903/Form903/Form903Start.action) या स्पेनिश (https://portalapps.hud.gov/AdaptivePages/HUD_Spanish/Espanol/complaint/complaint-details.htm) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

FHEO ईमेल

आप यह फ़ॉर्म(https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12150.PDF) डाउनलोड कर सकते हैं (जो अरबी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12147.PDF), कंबोडियाई (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12148.PDF), चीनी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12149.PDF), कोरियाई (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12151.PDF), रूसी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12152.PDF), सोमाली (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_20596.PDF), स्पेनिश (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12153.PDF), और वियतनामी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12154.PDF) भाषाओं में भी उपलब्ध है) और उसे इस सूची (https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/contact_fheo) में दिए ईमेल पते पर अपने स्थानीय FHEO कार्यालय को भेज सकते हैं।

FHEO फोन

आप 1-800-669-9777 या 1-800-877-8339 पर कॉल करके किसी FHEO अंतर्ग्रहण विशेषज्ञ (इनटेक स्पेशलिस्ट) से बात कर सकते हैं।

आप अपने क्षेत्रीय FHEO कार्यालय को इस सूची (https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/contact_fheo) में दिए गए फोन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं।

FHEO डाक

आप यह फ़ॉर्म (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12150.PDF) प्रिंट कर सकते हैं (जो अरबी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12147.PDF), कंबोडियाई (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12148.PDF), चीनी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12149.PDF), कोरियाई (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12151.PDF), रूसी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12152.PDF), सोमाली (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_20596.PDF), स्पेनिश (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12153.PDF), और वियतनामी (https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12154.PDF) भाषाओं में भी उपलब्ध है) और उसे इस सूची (https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/contact_fheo) में दिए पते पर अपने क्षेत्रीय FHEO कार्यालय को डाक से भेज सकते हैं।

स्रोत: https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint

स्रोत:https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/reasonable_accommodations_and_modifications
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/assistance_animals
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint

किसी से बात करनी है?

हमारे जानकारी विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं।

सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे (पूर्वी समयानुसार) तक टोल फ़्री नंबर 1-800-539-7309 पर कॉल करें। या https://www.christopherreeve.org/hi/get-support/ask-us-anything/form पर कॉल निर्धारित करें अथवा ऑनलाइन प्रश्न पूछें।

इस संदेश में निहित जानकारी आपको पक्षाघात और उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व सुविज्ञ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस संदेश में निहित किसी भी चीज़ का अर्थ चिकित्सीय निदान या उपचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही वह इसके लिए प्रयोग करने हेतु उद्दिष्ट है। इसका उपयोग आपके चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाता की सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया शीघ्रता से अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को फोन करें या उनसे मिलें। कोई भी नया उपचार, आहार या तंदुरुस्ती कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करें। आपको कभी-भी इस संदेश में पढ़ी गई किसी चीज़ के कारण चिकित्सीय सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए।

इस प्रकाशन को कुल $87,00,000 मूल्य के वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में सामुदायिक जीवन-यापन प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन फ़ॉर कम्युनिटी लिविंग, ACL), अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएँ विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़, HHS) की ओर से सहायता मिलती है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण ACL/HHS द्वारा किया जाता है। विषय-वस्तुएँ रचियता(ओं) द्वारा रचित हैं और आवश्यक नहीं कि वे ACL/HHS, या अमेरिकी सरकार के आधिकारिक विचारों को या उनके द्वारा विषय-वस्तुओं के समर्थन को दर्शाती हों।